**न्या0 अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाडा के अतिरिक्त न्यायाधीश, अमरवाड़ा, जिला छिंदवाडा, म0प्र0।**

प्रतिलिपि आदेश

जमानत आवेदन पत्र क0–107/2022

आदेश दिनांक–13–10–2022

पक्षकारों के नाम:–

पवित्र कुमार पिता संतकुमार गोंड, उम्र करीब 18 वर्ष,
निवासी–ग्राम लोटिया, थाना तामिया, तहसील तामिया,
जिला छिन्दवाडा, म0प्र0।

------आवेदक/आरोपी।

विरूद्ध

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बटकाखापा,
जिला छिन्दवाडा, म0प्र0।

------ अभियोजन/राज्य

---

13-10-2022

आवेदक/आरोपी पवित्र कुमार की ओर से श्री विनोद सिंगारे अधिवक्ता उपस्थित। शासन द्वारा श्री अखिल सोनी अपर लोक अभियोजक।

प्रकरण तर्क एवं केस डायरी हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र बटकाखापा से अपराध क0–146/2022 अंतर्गत धारा–379, 109 भा0दं0सं0 एवं म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1996 की धारा–56 (6) व मोटर यान अधिनियम की धारा– 77/177, 130 (3)/177, 3/181, 5/180, 39/192 की केस डायरी मय कैफियत प्रतिवेदन के पेश किया।

जमानत आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/आरोपी के द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दं0प्र0सं0 के संबंध में आवेदक की ओर से आवेदक का पिता संतराम गोंड ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

माननीय, म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर, के साईड में जाकर, प्रस्तुत यह प्रथम आवेदन पत्र के संबंध में सर्च किया गया, जिससे आरोपी/आवेदक का अन्य कोई आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में लंबित नहीं होना दर्शित है।

आवेदक/आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया है कि, आवेदक निर्दोष हैं, उसके विरूद्ध झूंठा मामला बनाया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। आरोपी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है और न ही वह

आदतन अपराधी है। आवेदक ने कोई रेत चोरी नहीं की है और न ही उससे रेत जप्त हुई है। आवेदक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। आरोपी ग्राम लोटिया, थाना तामिया, तहसील तामिया, जिला छिन्दवाड़ा का स्थायी निवासी है, जिसके कहीं भागे जाने की संभावना नहीं है तथा आवेदक अपने परिवार के पालन–पोषणकर्ता हैं। आवेदक जमानत पर रिहा होना चाहता हैं तथा न्यायालय के द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। पंजीबद्ध अपराध मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डनीय नहीं है। उपरोक्त आधारों पर जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

केस डायरी का आरक्षी केन्द्र बटकाखापा, जिला छिन्दवाड़ा के अपराध क0–146/2022 अंतर्गत धारा–379, 109 भा0दं0सं0 एवं म0प्र0 गौण खनिज अधिनियम 1996 की धारा–56 (6) व मोटर यान अधिनियम की धारा– 77/177, 130 (3)/177, 3/181, 5/180, 39/192 का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि, आरक्षी केन्द्र बटकाखापा के सहायक उपनिरीक्षक को मुखिबर से सूचना प्राप्त हुई कि, सीतारेवा नदी से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर सोनालिका ट्रैक्टर व ट्राली में रेत भरकर लोटिया तरफ से बटकाखापा आ रहा है, जिसकी तस्दीक की गई और ग्राम बामड़ी आमरोड के पास ट्रैक्टर–ट्राली में रेत भरकर लाते हुए मिला, मौके पर पूछताछ करने पर वाहन चालक ने स्वयं का नाम पवित्र इनवाती बताया तथा ट्रैक्टर मालिक राजेश इनवाती, निवासी–ग्राम छींदखेड़ा, थाना गोटटोरिया, जिला नरसिंहपुर का होना बताया तथा कोई भी दस्तावेज नहीं होना बताया और रेत की रॉयल्टी भी न होना बताया। साक्षियों के समक्ष अपराध में मौके पर जप्ती की कार्यवाही की गई तथा आरोपी पवित्र के धारा–27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेण्डम लेख किये गये। मौके से ट्रैक्टर जप्त किया गया। थाना आकर अपराध कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पंजीबद्ध अपराध में आरोपी पवित्र के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय से रिमांड लेकर उसे दिनांक–10–10–2022 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, तब से वह निरूद्ध हैं। आरोपी को पूर्व का आपराधिक रिकार्ड होना परिलक्षित नहीं है। पंजीबद्ध अपराध मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारवास के दण्ड से दण्डनीय नहीं है और न्या0मजि0प्र0श्रेणी के द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में वर्तमान में अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण के समस्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होने से आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–439 दं0प्र0सं0 का स्वीकार किया जाता है और यह आदेशित किया जाता है कि, यदि आवेदक/आरोपी की ओर से 25,000/– रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका विचारण न्यायालय के संतुष्टि योग्य निम्नलिखित शर्तों के

अधीन पेश किया जावे, तो उसे रिहा किया जावे–

वह अभियोजन साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा तथा प्रत्येक पेशी पर, न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा और विचारण/अनुसंधान कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेगा और इस प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, तो उसे, जमानत पर छोड़ा जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी आरक्षी केन्द्र बटकाखापा को वापस की जावे तथा एक प्रति विचारण न्यायालय हर्रई को पालनार्थ भेजी जावे।

यह जमानत प्रकरण नियमानुसार अभिलेखागार भेजा जाये।

(अजय नील करोठिया)
अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा की
न्यायालय के अति. न्यायाधीश अमरवाडा
जिला छिंदवाड़ा म0प्र0